



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

माघ 28, गुरुवार, शाके 1943-फरवरी 17, 2022
Magha 28, Thursday, Saka 1943-February 17, 2022

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (1)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 16 2022

जी.एस.आर.413 :- गर्भधारण-पूर्व एवं प्रसव-पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (1994 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 57) की धारा 17 की उप-धारा (2) सपठित उप-धारा (3) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ.23 (2)चिकि. एवं स्वा./ ग्रुप-3/2003/पार्ट दिनांक 01.07.2003, समय-समय पर यथा संशोधित, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में विद्यमान अभिव्यक्ति "विशिष्ट शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" के स्थान पर अभिव्यक्ति "संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग" प्रतिस्थापित की जाएगी।

[संख्या प.23(2)चिस्वा./ग्रुप-3/2003 पार्ट]

राज्यपाल की आज्ञा से,

नरेन्द्र कुमार बंसल,
संयुक्त शासन सचिव।

2003

Government Central Press, Jaipur.